निविदा

केंद्र या राज्य सरकारों के पास प्रशासन के अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य करने होते है । उन्हीं में से एक कार्य निर्माण का भी होता है । इस कार्य को करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है और उसे इस कार्य को करने के लिए उस संस्था या व्यक्ति से निविदा मँगाई जाती है । निविदा का शाब्दिक अर्थ है - आवश्यक रक़म लेकर वांछित वस्तुएँ जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित वादा देना है । निविदा को अंग्रेजी में TENDER कहते है । हम यह कह सकते है कि किसी भी निर्माण कार्य , जैसे - कार्यालय भवन , निम्न आय वर्ग के लिए घर या क्वार्टर , मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग के लिये फ्लैट , सड़क , ट्रॉली आदि के निर्माण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर जो आवेदन आमंत्रित किये जाते है उसे ही ' निविदा ' कहते है ।

सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए ' निविदा ' का विज्ञापन किया जाता है । इसमें यह ध्यान कराया जाता है कि अमुक सरकारी कार्य भवन निर्माण सेतु निर्माण आदि के लिए सरकार अमुक धनराशि देगी । कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हो तो अपनी निविदा निर्धारित समय के अनुसार प्रस्तुत करें । इसमें कार्य को करने लिए उसके निश्चित समय का भी निर्धारण किया गया रहता है ।